कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ।

E-mail: dfopithoragarh@rediffmail.com Fax& ☎ 05964-225234

पत्रांकः– 6619 /12–1 दिनांक, पिथौरागढ़, 02, मई, 2025।

सेवा में,

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त,
उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

विषयः– जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र पिथौरागढ़ में चण्डाक बांस मोटर मार्ग पोखरी से रतवाली ततरोड़ा तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 0.955 हे0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन करने के सम्बन्ध में (प्रस्ताव सं0 10696/2015)।

संदर्भः– प्रस्तावक विभाग/प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0 पिथौरागढ़ का पत्रांक 654/22याता दिनांक 22.04.2025।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के कम में प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि विषयक प्रकरण में एन0पी0वी0, सी0ए0 एवं अन्य मदों में पूर्व में जमा की गयी धनराशि परिवेश पोर्टल अंतर्गत Paid Show हो चुकी है तथा वर्तमान में विधिवत स्वीकृति अपेक्षित है।

अवगत कराना है कि प्रकरण में एन0पी0वी0 की नवीन दरों के आधार पर शेष धनराशि भी प्रस्तावक विभाग द्वारा जमा की जा चुकी है, जो कि इस कार्यालय के पत्रांक 7116/12–1 दिनांक 23.04.2024 द्वारा पूर्व में सूचित किया गया है। साथ ही प्रकरण की अनुपालन आख्या इस कार्यालय के पत्रांक 801/12–1 दिनांक 16.08.2023 द्वारा पूर्व में प्रेषित की गयी है।

उक्त आख्याएं पुनः संलग्न कर इस आशय से प्रेषित कि प्रकरण में विधिवत स्वीकृति प्रदान किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करेंगे।

संलग्नः– यथोक्त।

भवदीय,

(आशुतोष सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी,
पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।

संख्याः– /12–1 दिनांकित।

प्रतिलिपिः–
1. प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।
2. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, पिथौरागढ को उपरोक्त कम में इस आशय से प्रेषित कि प्रकरण की अनुपालन आख्या परिवेश पोर्टल में भी अपलोड करना सुनिश्चित करें।

(आशुतोष सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी,
पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ।

E-mail: dfopithoragarh@rediffmail.com Fax&☎ 05964-225234

पत्रांकः– 801 /12–1 दिनांक, पिथौरागढ़, 16 – अगस्त, 2023।

सेवा में,

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त,
उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

विषयः– जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र पिथौरागढ़ में चण्डाक बॉस मोटर मार्ग पोखरी से रतवाली ततरोड़ा तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 0.955 है0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन करने के सम्बन्ध में ।

सन्दर्भः– उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक 154/X-4-15/1(67)/2015, दिनांक 30.03.2015 ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक उत्तराखण्ड शासन के सन्दर्भित पत्र के कम में प्रस्तावक विभाग द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति में दी गयी शर्तो का निम्नानुसार अनुपालन कर अनुपालन आख्या निम्नवत प्रेषित है।

S.NO	अधिरोपित शर्त	सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या
1.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस पास रिक्त पड़े स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों पर समाहित करने हेतु यथा संशोधित) जमा की जाएगी।	मार्ग के आस–पास रिक्त पड़े स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि जमा कर दी गई है।
2.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन सिविल 202/1995 के अंतर्गत आई0ए0सं0–566 एवं भारत सरकार पत्र संख्या –5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिए गये आदेशानुसार शुद्व वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित राशि जमा की जाएगी।	नोडल खण्ड कार्यालय अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड के पत्राक 1546/ एन0पी0वी0 दिनांक 27.05.2015 द्वारा UTR NO SBIN 215147701748 Date 27.05.2015 द्वारा आवश्यक धनराशि रू0 2516460.00 (एन0पी0वी0 हेतु रू0 2467545.00 क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु 667545.00 एवं पथ वृक्षारोपण हेतु रू0 1800000.00) जमा की जा चुकी है।
3.	प्रयोक्ता अभिकारण इस आशय का वचनबद्धता प्रस्तुत करेगें कि सक्षम स्तर से यदि एन0पी0वी0 की दर में बढोत्तरी होती है तो बढी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जाएगी।	प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त मान्य है। (वचनबद्धता संलग्न)

4.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार पत्र संख्या–5–3 /2007– एफ0सी0, दिनांक 05.02. 2009 के तहत दिए गये आदेशों के अनुसार एन0पी0वी0 तथा दूसरी अलग निधियां प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के लेखा सं0–एस0बी0–25229 कार्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपकर्म), ब्लॉक–11 भूतल सी0जी0ओ0 कॉमप्लेक्स फेज–01 लोधी रोड नई दिल्ली– 110003 में जमा कराने के उपरान्त ही पावती की छायाप्रति जमा की गई। धनराशि का बैंक ड्राफ्ट/चैक की छायाप्रति सहित प्रस्ताव के सन्दर्भ में अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गई धनराशि का मदवार विवरण अर्थात एन0पी0वी0, क्षतिपूरक वृक्षारोपण प्रस्तावित स्थल के आस पास वृक्षारोपण तथा अन्य देय धनराशियों का विवरण दिया गया हो) उपलब्ध कराए जाने के पश्चात ही निर्गत स्वीकृति मान्य होगी।	एन0पी0वी0, प्रस्तावित स्थल के आस–पास वृक्षारोपण हेतु जमा की गई धनराशि की पावती की छायाप्रति व ड्राफ्ट की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित है।
5.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिए जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू–वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किया जाएगा।	भू–वैज्ञानिक की शर्ते मान्य होने का प्रमाण पत्र संलग्न है।
6.	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा वन अधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत आवश्यक अभिलेखों/प्रमाण पत्रों को उपलब्ध कराया जाना होगा।	वन अधिकार अधिनियम 2006 के समस्त अभिलेख संलग्न है।
7.	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा प्रस्ताव में नीहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में राज्य सरकार, पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।	प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त मान्य है
8.	उपरोक्त शर्तो के अनुपालन पश्चात प्रकरण में विधिवत स्वीकृति निर्गत की जाएगी।	प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त मान्य है।

संलग्नः–चार प्रतियों में।

भवदीय,

(जीवन मोहन दगाड़े)
प्रभागीय वनाधिकारी,
पिथौरागढ़, वन प्रभाग पिथौरागढ़।

परियोजना का नामः– चण्डाक बांस मोटर मार्ग के किमी0 9.000 पोखरी से रतवाली (ततरोड़ा) तक मोटर मार्ग।

Task Force Certificate

(i) Lay out of the Land-be followed as far as possible.
(ii) Heavy cutting/filling be avoided-as far as possible. The technology of cut and fill method is to be adopted. Steep hill slopes also to be avoided.
(iii) Unstable/slide-prone areas to be avoided. For identifying such areas the advice of Geotechnical engineers and geologists to be taken during the survey for alignment.
(iv) Comparison of various possible alignments with reference to erosion potential be made and the alignment involving minimum erosion risks be preferred. Apart from the stage of planning the road alignment, effective steps are also required to be taken by ground engineer during the process of road construction for minimized ecological disturbance to the hill roads Broadly the measures to be taken have been identified as :-
(i) Cut and fill method to be adopted while excavating for road formation and heavy earth cutting is to be avoided Box cutting is to be avoided to the extent possible.
(ii) Blasting by explosives is to be restricted to the minimum. Lay out of holes to be drilled for blasting is to be planned keeping in view the line of least resistance and the existence of joints Controlled blasting should be repeated using low charge and care be taken to avoid activating slide zones or widening fissures and cracks in road. Use of delay detonators in large scale basting work is to be made for anaoline dispersion of chock waves, so that minimum disturbance is caused to the rock stratum as a result of the blasting process.
(iii) All cut slopes, unusable hill side and slide prone erosion prone areas are to be provided with suitable correction measures by using one or the other of the techniques developed by CRRI. Several techniques have been sponsored by CRRI. like simple vegetative turning, bitumen muck treatment and slide treatment by jute netting coir netting of these simple vegetative turning seems to be the most appropriate preventive measure in many situations. This should be established in the denuded slopes immediately after the excavation is made.
(iv) Adequate drainage measures and protective structures like intercepting catch water drains, longitudinal drains/culverts, breast walls, retaining walls are to be provided for purpose of establishing the slips Growth vegetative cover is to be stimulated in the disturbed hill slops above the road level by planting suitable fast growing shrubs and plants. In
(v) Over the past few years the roads wing of the Ministry of Shipping and transport has issued instruction laying down broad guidelines and check list of the preparation of road construction projects which provide an inbuilt mechanism of tackling land slides/erosion control for the guidance and follow up action by engineers of state 'PWD' Border Roads Organization and others engaged in construction of hill roads. these should be observed.

प्रमाणित किया जाता है कि योजना आयोग द्वारा गठित टास्क फोर्स द्वारा प्रदत्त उक्त संस्तुतियाँ का परियोजना के निर्माण के दौरान अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा हैं।

सहायक अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0 पिथौरागढ़।	अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0 पिथौरागढ़।

प्रपत्र–29

परियोजना का नामः– **चण्डाक बांस मोटर मार्ग के किमी0 9.000 पोखरी से रतवाली (ततरोड़ा) तक मोटर मार्ग।**

मानक शर्तों का मान्य होने का प्रमाण–पत्र

मानक शर्तें

1. वन भूमि हस्तान्तरण के बाद भी उसकी वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा और वह पूर्व की भाँति रक्षित या आरक्षित वन भूमि बनी रहेगी।
2. प्रश्नगत भूमि का उपयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु ही किया जायेगा व अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं किया जायेगा।
3. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित भूमि अथवा उसके किसी भी भाग को किसी अन्य विभाग, संस्था अथवा व्यक्ति विशेष को हस्तान्तरित नहीं किया जायेगा।
4. वन भूमि का संयुक्त निरीक्षण करके सुनिश्चित कर लिया गया है कि आवेदित भूमि न्यूनतम है तथा इसके अतिरिक्त कोई अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है।
5. प्रयोक्ता एजेन्सी, उसके कर्मचारी, अधिकारी अथवा ठेकेदार वन भूमि को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायेंगे और ऐसा किये जाने पर सम्बन्धित वनाधिकारी द्वारा निर्धारित प्रतिकर का भुगतान प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता एजेन्सी सहमत है।
6. परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित भूमि का सीमांकन प्रयोक्ता एजेन्सी के व्यय से सम्बन्धित वनाधिकारी की देख–रेख में किया जायेगा तथा इस सम्बन्ध में बनाये गये मुनारों का रख–रखाव किया जायेगा।
7. हस्तान्तरित वन भूमि पर वन विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों को निरीक्षण हेतु जाने पर प्रयोक्ता एजेन्सी को कोई आपत्ति नहीं होगी।
8. बहुमूल्य वन सम्पदा से आच्दादित एवं वन जन्तुओं से भरपूर वन क्षेत्रों का हस्तान्तरण यथासम्भव प्रस्तावित न किया जाय। केवल अपरिहार्य करणों से ही ऐसा किया जाना सम्भव होगा, परन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि वन सम्पदा की क्षतिपूर्ति एवं वन्य जन्तुओं के स्वछन्द विचरण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के बाद ही भूमि हस्तान्तरित की जायेगी।
9. सिंचाई विभाग/जल निगम द्वारा वन विभाग की नर्सरीयों को एवं वन विभाग के कर्मचारियों की निःशुल्क जल की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।
10. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा हस्तान्तरित वन भूमि का उपयोग अन्य प्रयोजन हेतु करने अथवा अन्य विभाग संस्था या व्यक्ति विशेष को हस्तान्तरित करने पर वन भूमि स्वतः किसी प्रतिकर के भुगतान किये बिना वन विभाग को वापस हो जायेगी। वन भूमि की आवश्यकता प्रयोक्ता एजेन्सी न होने पर हस्तान्तरित भूमि तथा उस पर निर्मित भवन आदि स्वतः बिना किसी प्रतिकर भुगतान के वन विभाग को प्राप्त हो जायेगी।
11. सड़क निर्माण के प्रस्तावों पर संरेखण तय करते समय स्थानीय स्तर पर वन विभाग का परामर्श लो0 नि0वि0 द्वारा प्राप्त किया जायेगा तथा इस सम्बन्ध में मुख्य अभियन्ता, ला0 नि0वि0 को सम्बोधित पत्र संख्या 608 सी0 दिनांक 10–2–82 में निहित आदेशों का पालन भी लो0 नि0वि0 द्वारा किया जायेगा। वन भूमि पर अश्वमार्ग बनाना अथवा वन मार्गों का सुदृढ़ीकरण/चौड़ीकरण कार्य करने हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की स्वीकृति प्राप्त की जानी अनिवार्य है।
12. प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा वन भूमि का मूल्य सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा वर्तमान बाजार दर के अनुसार राज्य सरकार के पक्ष में जमा कराया जायेगा।

13. वन भूमि पर खड़े वृक्षों का निस्तारण वन विभाग, उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा किया जायेगा।

14. हस्तान्तरित भूमि पर पड़ने वाले वृक्षों के प्रतिकार में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा हस्तान्तरित भूमि के समतुल्य वृक्षारोपण का भुगतान अथवा समतुल्य गैर वानिकी भूमि उपलब्ध न होने पर प्रस्तावित भूमि के दुगने गैर वानिकी क्षेत्रफल में वृक्षारोपण तथा 3 वर्ष तक परिपोषण व्यय जो भी वन विभाग द्वारा तय किया जाय का भुगतान प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन विभाग किया जायेगा। 1000 मीटर एवं 30 डिग्री से अधिक ढाल पर खड़े वृक्षों का पातन भी निषिद्ध है, इसी प्रकार बांज के पेड़ों पर पातन भी वर्जित है। ऐसे वृक्षों के पातन का निरीक्षण सम्बन्धित वन संरक्षक स्तर पर ही होगा।

15. वन भूमि पर प्रस्तावित विद्युत पारेषण लाईन के कोरिडोर के नीचे यथासम्भव पेड़ों का पातन नहीं किया जायेगा व पारेषण लाईन के खम्भों को ऊँचा कर अधिक से अधिक संख्या में पेड़ों को बचाया जायेगा। यदि फिर भी पेड़ों का पातन अनिवार्य प्रतीत होता है तो न्यूनतम पेड़ों की संख्या संयुक्त स्थल निरीक्षण करके सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा निश्चित की जायेगी।

16. यदि नहर आदि निर्माण में भू–संरक्षण की सम्भावना होती है और नहर की दोनों पट्टीयों को पक्का करना आवश्यक समझा जाता है, तो प्रयोक्ता एजेन्सी उक्त कार्य को स्वयं के व्यय से करायेगा।

17. उपरोक्त मानक शर्तों के अतिरिक्त यदि भारत सरकार अथवा वन विभाग द्वारा किसी विशिष्ट प्रकरण में कोई अन्य शर्तें लगाई जाती हैं, तो प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उसका पालन किया जाना अनिवार्य होगा।

18. वन भूमि का वास्तविक हस्तान्तरण तभी किया जाय, जब उक्त शर्तों का पूरा अनुपालन प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा किया गया हो अथवा सक्षम स्तर से आश्वासन प्राप्त हो जाय।

प्रमाणित किया जाता है कि वन विभाग उत्तराखण्ड शासन तथा भारत सरकार द्वारा लगाई गई शर्तें प्रयोक्ता एजेन्सी को मान्य है।

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
पिथौरागढ़।

अधिशासी अभियन्ता
अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
पिथौरागढ़।

प्रपत्र – 26

भूगर्भीय निरीक्षण आख्या

भूगर्भीय निरीक्षण

आख्या / आर0सी0यू0 33/ सडक / कुमायूँ 2014

कार्य का नाम : जनपद पिथौरागढ़ में जिला योजना के अन्तर्गत पिथौरागढ़–चण्डाक –बाँस मोटर मार्ग के कि0मी0 9 पोखरी से रतवाली ततरोड़ा मोटर मार्ग हेतु प्रस्तावित 1.625 किमी0 सड़क संरेखन की भूगर्भीय निरीक्षण आख्या।

जनपद पिथौरागढ़ में जिला योजना के अन्तर्गत पिथौरागढ़–चण्डाक–बाँस मोटर मार्ग के किमी0 9 पोखरी से रतवाली ततरौड़ा मोटर मार्ग हेतु प्रस्तावित 1.625 किमी0 सड़क संरेखन की भूगर्भीय निरीक्षण आख्या।

1:– प्रस्तावना:– प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, पिथौरागढ़ के अधीन चण्डाक बांस मोटर मार्ग से रतवाली मोटर मार्ग का निर्माण करना प्रस्तावित है। अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, पिथौरागढ़ के द्वारा किये गये, अनुरोध पर पत्रांक 979 (अ)/ 1 याता दिनांक 12.06.2014) स्थल निरीक्षण दिनांक 02.07.2014 को ई0 एच0एस0 बथ्याल, सहायक अभियन्ता एवं ई0 संजय वर्मा, अपर सहायक अभियन्ता की उपस्थिति में अधोहस्ताक्षरी द्वारा किया गया। स्थल का निरीक्षणस्थल की संरचना, बनावट, भूकम्पीय, भूगर्भीय एवं पर्यावरण पारिस्थितिकी के अध्ययन हेतु किया गया ताकि प्रस्तावित भू–भाग में मोटर मार्ग के निर्माण हेतु आवश्यक सुझाव दिये जा सकें।

2:– स्थिति:– प्रस्तावित सड़क संरेखन, पिथौरागढ़–चण्डाक–बाँस मोटर मार्ग किमी0 9 के हेक्टा 2–4 पर स्थित मोटर मार्ग से प्रारम्भ होता है एवं रतवाली में स्थित गोरल देवता मन्दिर के पास समाप्त होता है। स्थिति के लिए मानचित्र एवं फोटोग्राफ संलग्न है।

3:– भूगर्भीय स्थिति:– प्रस्तावित सड़क संरेखन, सैन्ट्रल हिमालयन सेक्टर के मध्य हिमालय में कुमाऊँ क्षेत्र में स्थित है। प्रस्तावित सड़क संरेखन के भू–भाग में देववन (गंगोलीहाट) फारमेशन की चट्टाने दृष्टिगोचर होती हैं, जो थिन बेडेड डोलोमाइट तथा मेसिव डोलोमाइट के साथ इण्टरबेडेड है। इन चट्टानों पर किया गया भू–गर्भीय अध्ययन इस प्रकार है:–

1.	160–340 दक्षिण पूर्व– उत्तर पश्चिम	42°	उत्तर पूर्व	नति।
2.	140–320 दक्षिण पूर्व– उत्तर पश्चिम	48°	उत्तर पूर्व	नति।
3.	10–190 उत्तर पूर्व उत्तर– दक्षिण पश्चिम दक्षिण	54°	पूर्व दक्षिण पूर्व	ज्वाइन्ट प्लेन।
4.	60–240 उत्तर पूर्व – दक्षिण पश्चिम	52°	दक्षिण पूर्व	नति।
5.	60–240 उत्तर पूर्व – दक्षिण पश्चिम	76°	दक्षिण पूर्व	ज्वाइन्ट प्लेन
6.	60–240 उत्तर पूर्व – दक्षिण पश्चिम	70°	दक्षिण पूर्व	ज्वाइन्ट प्लेन
7.	140–320 दक्षिण पूर्व – उत्तर पश्चिम	42°	दक्षिण पश्चिम	ज्वाइन्ट प्लेन

उपरोक्त अध्ययन से ज्ञात होता है कि प्रस्तावित सड़क संरेखन के भू–भाग में स्थित **चट्टानें 42° – 54°** के मध्य उत्तर पूर्व एवं दक्षिण दिशा की ओर झूकी हैं एवं इन चट्टानों पर **2 सेट से अधिक** ज्वाइन्ट प्लेन्स विकसित हुए हैं।

P.C. Attested

क्रमशः पेज–2 पर

सहायक अभियन्ता

4:– स्थल वर्णन:– प्रस्तावित सड़क संरेखन, पिथौरागढ़–चण्डाक–बांस मोटर मार्ग के किमी0 9.00 के हेक्टा 2–4 से प्रारम्भ होता है। यह संरेखन दक्षिण पूर्वी ढलान पर प्रस्तावित हैं, यह ढ़लान क्षेत्र सामान्य पहाड़ी ढलान की क्षेणी के अन्तर्गत है। यह संरेखन अन्त में रतवाली मे गोरख देवता मन्दिर पर समाप्त होता है। इस सम्पूर्ण समरेखन में 2 सूखे नाले विद्यमान हैं। यह संरेखन पंचायती वन, निजी नाप भूमि एवं बंजर भूमि पर प्रस्तावित है। सड़क संरेखन का ग्रेडिएन्ट 0.000–0.225 किमी0 तक 1:20 के फाल, 0.225–0.275 किमी0 तक लेविल, 0.275–0.450 किमी0 तक 1:20 के फाल, 0.450–0.500 किमी0 तक लेविल, 0.500–1.050 किमी0 तक 1:20 के फाल, 1.050–1.100 किमी0 तक लेविल, 1.100–1.250 किमी0 तक 1:17 के फाल, 1.250–1.450 किमी0 तक 1:20 के फाल, 1.450–1.525 किमी0 तक 1:24 के फाल तथा 1.525–1.625 किमी0 तक लेविल में प्रस्तावित है। सड़क संरेखन में 3 हेयर पिन बैण्डस् किमी0 0.225–0.275, 0.450–0.500 तथा 1.050–1.100 के मध्य में प्रस्तावित है। यह संरेखन रतवाली में अल्मोड़ा–झूलाघाट पैदल मार्ग के ऊपर से भी होकर गुजरता है। प्रस्तावित भू–भाग की भूगर्भीय स्टेट्रीग्राफी इस प्रकार है।

मिट्‌टी की परत

डेब्रिज

थिन बेडेड डोमोमाइट

मेसिव डोलोमाइट

5:– स्थाईत्व का विचार:– प्रस्तावित सड़क संरेखन के भू–भाग की संरचना, बनावट, भूगर्भीय, भूकम्पीय एवं पर्यावरण पारिस्थितिकी को देखते हुए मोटर मार्ग के स्थाईत्व हेतु निम्न लिखित बिन्दुओं पर विचार करना आवश्यक है।

1. यह सड़क संरेखन मध्य हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र में प्रस्तावित है।
2. प्रस्तावित संरेखन में 2 सूखे नाले है।
3. पहाड़ी ढ़लान सामान्य ढलान श्रेणी के अंन्तर्गत है।
4. संरेखन का भाग पंचायती, निजी नाप भूमि एवं निजी बंजर भूमि पर प्रस्तावित है।
5. यह क्षेत्र भूकम्प की दृष्टि से जोन V के अन्तर्गत है।
6. सड़क संरेखन का ग्रेडिएन्ट 1:17, 1:20, 1:24 के फाल व लेवल में प्रस्तावित है।
7. इस संरेखन में स्थित अधिकांश चट्‌टाने डोलोमाइट की हैं।?

P.e. Attested

क्रमशः पेज–3 पर

8. इस सड़क संरेखन में 3 हेयर पिन बैण्डस् भी प्रस्तावित हैं।

9. यह संरेखन का भाग पैदल मार्ग के उपर से होकर भी गुजरता है।

6 सुझाव:– उपरोक्त सड़क संरेखन के भू–भाग की संरचना ,वनावट, भूगर्भीय, भूकम्पीय एवं पर्यावरण पारिथितिकी के अध्ययन के उपरान्त मोटर मार्ग के निर्माण हेतु निम्नलिखित सुझाव दिये जाते है।

1. सूखे नालों पर स्कपर/डबल स्कपर का निर्माण किया जाय।
2. हेयर पिन बैण्ड को मानकों के अनुरूप निर्मित किया जाय।
3. पहाड़ी की ओर नालियों का निर्माण किया जाय।
4. भूकम्पीय मानकों के अनुरूप उपाय किये जाय।
5. आवश्यतानुसार ब्रेस्टवाल का निर्माण किया जाय।
6. गांव के आस–पास मार्ग निर्माण के समय बिस्फोट्क सामग्री का उपयोग न किया जाय।
7. मार्ग निर्माण के पश्चात पानी की पाइप लाइन को यथास्थिति में लाया जाय।
8. पर्वतीय क्षेत्रों में बनने वाले मोटर मार्गो के निर्माण के लिए निर्धारित सिविल अभियांत्रिकी के मानकों एवं विशिष्टियों का पालन किया जाय।

9 निष्कर्ष:– उपरोक्त वर्णित बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए **अन्तर्गत** पिथौरागढ़–चण्डाक–बाँस मोटर मार्ग के किमी0 9 पोखरी से रतवाली ततरौड़ा मोटर मार्ग हेतु प्रस्तावित 1.625 किमी0 की लम्बाई में निर्माण करना उपयुक्त प्रतीत होता है।

टिप्पणी:– सड़क संरेखन के निरीक्षण के समय उपरोक्त बिन्दुओं पर सम्बन्धित अधिकारियों से विस्तृत विचार विमर्श किया गया। एक अन्य संरेखन का भी अध्ययन किया गया, जिसमें बांज का जंगल होने के कारण उपयुक्त नहीं पाया गया।

(डा0 आर0 सी0 उपाध्याय)
भू वैज्ञानिक

(डॉ० आर.सी. उपाध्याय)
भू-वैज्ञानिक
हिमाद्री-श्यू, रानीधारा टाप
अल्मोड़ा 263601 (उत्तराखण्ड)

छाया प्रति प्रमाणित
सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0 पिथौरागढ़

प्रपत्र–30

परियोजना का नामः— चण्डाक बांस मोटर मार्ग के किमी0 9.000 पोखरी से रतवाली (ततरोड़ा) तक मोटर मार्ग।

धार्मिक / पौराणिक / ऐतिहासिक महत्व के स्थल न होने का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदित वन भूमि में किसी प्रकार का ऐतिहासिक स्थल, धार्मिक स्थल, स्मारक, मन्दिर, मस्जिद, शमशान घाट, कब्रिस्तान आदि स्थित नहीं है तथा उक्त वन भूमि सार्वजनिक उपयोग की नही है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त वन भूमि अन्य प्रयोजन हेतु किसी को आवंटित नही की गई है।

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
पिथौरागढ़।

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
पिथौरागढ़।

ह0 / –
जिलाधिकारी

(बी0 डी0 भट्ट)
राजस्व उप निरीक्षक
तह/जिला-पिथौरागढ़

जिला अधिकारी
पिथौरागढ़

उप प्रभागीय वनाधिकारी
डीडीहाट
पिथौरागढ़ वन प्रभाग

प्रभागीय वन अधिकारी
पिथौरागढ़ वन प्रभाग

प्रपत्र–32

परियोजना का नामः– **चण्डाक बांस मोटर मार्ग के किमी0 9.000 पोखरी से रतवाली (ततरोड़ा) तक मोटर मार्ग।**

परियोजना में कार्यरत श्रमिकों को मिट्टी का तेल/रसोई गैस उपलब्ध कराये जाने का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण में कार्यरत श्रमिकों को मिट्टी का तेल/रसोई गैस उपलब्ध करायी जायेगी।

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
पिथौरागढ़।

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
पिथौरागढ़।

प्रपत्र–31

परियोजना का नामः— चण्डाक बांस मोटर मार्ग के किमी0 9.000 पोखरी से रतवाली (ततरोड़ा) तक मोटर मार्ग।

वन्य जीव/वनस्पतियों को क्षति न पहुँचायें जाने का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना के निर्माण कार्य/रख–रखाव के दौरान वन्य जीवों /स्थानी; वनस्पतियों को कोई नुकसान नही पहुँचाया जायेगा।

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
पिथौरागढ़।

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
पिथौरागढ़।

प्रारुप—34

परियोजना का नामः— **चण्डाक बॉस ऑवलाघाट मोटर मार्ग के कि0मी0 9.00 पोखरी से रतवाली ततरोडा तक मोटर मार्ग**

भू—वैज्ञानिक की संस्तुतियों/सुझावों का अनुपालन किये जाने का प्रमाण—पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि विषयगत परियोजना के निर्माण हेतु भू—वैज्ञानिक द्वारा दिये गये सुझावों/संस्तुतियों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

सहायक अभियन्ता
प्रा० खण्ड लो० नि० वि०
पिथौरागढ़

अधिशासी अभियन्ता
प्रा० (प्रयोक्ता एजेन्सी) वि०
पिथौरागढ़

प्रारुप–30

(वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत समस्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्रों पर सूचना/अभिलेख संलग्न किये जाने हैं।)

FORM-1

(for linear projects)

Government of Uttarakhand Office of the District Collector Pithoragarh

No--- Dated---3/3/2015

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In complinance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Rocognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 0.955 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of Public Work Department for in Pithoragarh district falls within jurisdiction of चण्डाक बॉस ऑवलाघाट मोटर मार्ग के कि0मी0 9.00 पोखरी से रतवाली ततरोडा तक मोटर मार्ग village (s) in Bin (Pithoragarh) tehsils.

It is further certified that:

(a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 0.955 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consulations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub-Division laevel Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure ...to ...annexure....

(b) the diversion of forest land for facilities managed by the Gvoernment as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;

(c) the proposal does not involve rcognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Eucl: As above.

Signature
(Full name and official seal of the District Collector)

जिला अधिकारी
पिथौरागढ़

प्रारुप–30.1

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER
DISTRICT Pithoragarh (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of **Pithoragarh** district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr/Mrs/Miss. राजीव कुमार I.A.S deputy commissioner,. पिथौरागढ़ on dated 3/3/15.... at time 3:30 P.m. at पिथौरागढ़ in which application claiming rights in **Van Bhumi** area measuring **0.955** hect for the construction of चण्डाक बॉस ऑवलाघाट मोटर मार्ग के कि0मी0 9.00 पोखरी से रतवाली ततरोडा तक मोटर मार्ग forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub divition level committee of पिथौरागढ़ sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommended the above case for diversion of land for the said purpose.

Place: पिथौरागढ़
Dated: 03/03/2015

Deputy Commissioner-cum-Chairman
District Level Committe

जिला अधिकारी
पिथौरागढ़

प्रारुप–30.2

परियोजना का नाम :– **चण्डाक बॉस ऑवलाघाट मोटर मार्ग के कि0मी0 9.00 पोखरी से रतवाली ततरोडा तक मोटर मार्ग**

कार्यालय उप जिलाधिकारी, पिथौरागढ़
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण–पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति, पिथौरागढ़

उपखण्ड पिथौरागढ़ परिक्षेत्र के अन्तर्गत **चण्डाक बॉस ऑवलाघाट मोटर मार्ग के कि0मी0 9.00 पोखरी से रतवाली ततरोडा तक मोटर मार्ग** (0.045 हे0 आरक्षित वन भूमि, 0.630 हे0 सिविल एवं सोयम वन भूमि, 0.280 हे0 वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल 0.955 हे0 वन भूमि) का **प्रान्तीय खण्ड लोक निमाण विभाग** पिथौरागढ़ प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील पिथौरागढ़) की दिनांक 03/03/2015 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरणः–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री अनुराग आर्या उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1– श्री अनुराग आर्या –उपजिलाधिकारी – पिथौरागढ़ –अध्यक्ष
2– श्री आनन्द कुमार –उप प्रभागीय वनाधिकारी– पिथौरागढ़ –सदस्य
3– श्री दीप कश्यप –सहायक समाज कल्याण अधिकारी– पिथौरागढ़ –सदस्य/सचिव
4– श्री संजय राम –बी0डी0सी0 क्षेत्र – भड़ाडा –सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि **चण्डाक बॉस ऑवलाघाट मोटर मार्ग के कि0मी0 9.00 पोखरी से रतवाली ततरोडा तक मोटर मार्ग**, परियोजना हेतु 0.955 हे0 वन भूमि **प्रान्तीय खण्ड लोक निमाण विभाग** पिथौरागढ़ प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड पिथौरागढ़ परिक्षेत्र के अन्तर्गत **चण्डाक बॉस ऑवलाघाट मोटर मार्ग के कि0मी0 9.00 पोखरी से रतवाली ततरोडा तक मोटर मार्ग** परियोजना के निर्माण हेतु 0.955 हे0 वन भूमि **प्रान्तीय खण्ड लोक निमाण विभाग पिथौरागढ़** प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुनति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिला अधिकारी
पिथौरागढ़
(उत्तराखण्ड)

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील– पिथौरागढ़
जनपद पिथौरागढ़

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, पिथौरागढ़को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

प्रभागीय वन अधिकारी
पिथौरागढ़ वन प्रभाग

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील– पिथौरागढ़
जनपद पिथौरागढ़

उप जिला अधिकारी
पिथौरागढ़
(उत्तराखण्ड)

प्रारुप–30.3

परियोजना का नाम :– **चण्डाक बॉस ऑवलाघाट मोटर मार्ग के कि0मी0 9.00 पोखरी से रतवाली ततरोडा तक मोटर मार्ग ।**

<u>वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र</u>

ग्राम पंचायत का नाम **मझेडा रतवाली**
तहसील **पिथौरागड** जिला **पिथौरागड**

<u>अनापत्ति प्रमाण पत्र</u>

उत्तराखण्ड में **चण्डाक बॉस ऑवलाघाट मोटर मार्ग के कि0मी0 9.00 पोखरी से रतवाली ततरोडा तक मोटर मार्ग**।परियोजना के निर्माण हेतु (**0.045** हे0 आरक्षित वन भूमि, **0.630** हे0 सिविल सोयम भूमि **0.280** हे0, वन पंचायत भूमि) अर्थात कुल **0.955** हे0 वन भूमि का **प्रा0 ख0 लो0 नि0 वि0 पिथौरागड** विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत **मझेडा रतवाली** द्वारा दिनांक को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध मे अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नही है।
* उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम **मझेडा रतवाली** के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि **प्रा0 ख0 लो0 नि0 वि0 पिथौरागड** प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0/–
ग्राम सचिव
मुहर सहित

ह0/–
ग्राम प्रधान/सरपंच
मुहर सहित

ग्राम पंचायत मझेड़ा
वि.ख.-विण, पिथौरागढ़

सरपंच
वन पंचायत रतवाली

प्रपत्र – 3.0.3

निरापत्ति प्रमाण पत्र

हमारे ग्राम हेतु स्वीकृत मोटर मार्ग जो कि **बॉस ऑवलाघाट मो0मार्ग के कि0मी0 9.00 मे** [illegible]**से रतवाली ततरोडा तक है**, के निर्माण में प्रभावित होने वाली समस्त भूमि नाप,बेनाप, [illegible]र बगीचे आदि को **निशुल्क** देने में किसी भी ग्रामवासी को कोई आपत्ति नहीं है,व न ही [illegible] में होगी। साथ ही समस्त ग्रामवासी यह भी आश्वस्त करते हैं कि मार्ग निर्माण में अपना [illegible] सहयोग विभाग को देंगें।

[illegible] चन्द्र जोशी –
1– नीलाम्बर [illegible]
2– त्रिभुवन जोशी — T.C. Joshi
4– नवीन चन्द्र जोशी — [illegible]
5 – मनोज कुमार जोशी — Manoj
– राजेन्द्र प्रसाद जोशी
– [illegible]
– विमल जोशी
– गोवर्धन जोशी
– भूपेन्द्र जोशी
– कपिल जोशी
– राधा जोशी
3 – अशोक जोशी
4 –
5 –

[illegible] प्रति प्रमाणित
सहायक अभियन्ता
[illegible]न्तीय खण्ड लो0नि0वि0 पिथौरागढ़

सरपंच
वन पंचायत [illegible]

प्रधान
ग्राम पंचायत [illegible]
वि.ख.-बिण, पिथौराग[illegible]

वन पंचायत रतवाली ग्राम पंचायत मड़खेड़ा, जनपद पिथौरागढ़ की बैठक दिनांक 24-11-2013 को बैठक में पारित प्रस्ताव सं0 1 की सत्य प्रतिलिपि :-

प्रस्ताव सं0 1:- ग्राम रतवाली मुख्य मोटर मार्ग से दूरी पर स्थित होने के कारण यहां के वासियों द्वारा मुख्य सड़क मोटर मार्ग से गांव को जोड़ने हेतु (चण्डाक वाले) मोटर मार्ग से ग्राम रतवाली तक सड़क निर्माण किये जाने की मांग जन प्रतिनिधियों एवं सरकार से समय समय पर रखी गई है। वर्तमान में जिला योजना के अन्तर्गत 1 किमी0 सड़क का निर्माण इस गांव हेतु प्रस्तावित है। यह सड़क चण्डाक वाले मोटर मार्ग से वन पंचायत रतवाली के करबीजर तोक से होते हुये गांव तक पहुंचेगी। रोड के निर्माण से वन पंचायत रतवाली का आंशिक क्षेत्र प्रभावित हो रहा है। जनहित को देखते हुये ग्रामवासियों को वन पंचायत क्षेत्र में सड़क बनने में कोई आपत्ति नहीं है। प्रस्ताव सर्व सम्मति से पारित किया गया।

सत्य प्रति प्रमाणित

सरपंच
वन पंचायत रतवाली
24.11.2013

छाया प्रति प्रमाणित
सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0 पिथौरागढ़

प्रपत्र–18

परियोजना का नामः– चण्डाक बांस मोटर मार्ग के किमी0 9.000 पोखरी से रतवाली (ततरोड़ा) तक मोटर मार्ग।

परियोजना स्थल किसी राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य का हिस्सा न होने का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि किसी राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य का हिस्सा नहीं है।

ह0/
प्रभागीय वनाधिकारी

वन क्षेत्राधिकारी
पिथौरागढ़

उप प्रभागीय वनाधिकारी
डीडीहाट
पिथौरागढ़ वन प्रभाग

प्रभागीय वन अधिकारी
पिथौरागढ़ वन प्रभाग

प्रपत्र–19

परियोजना का नाम :– चण्डाक बांस मोटर मार्ग के किमी0 9.000 पोखरी से रतवाली (ततरोड़ा) तक मोटर मार्ग।

राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य से दूरी का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त परियोजना हेतु आवेदित वन क्षेत्र की समीपस्थ राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य की सीमा से दूरी ...55....... किमी0 है।

ह0/
प्रभागीय वनाधिकारी

वन क्षेत्र अधिकारी
पिथौरागढ़

प्रभागीय वन अधिकारी
पिथौरागढ़ वन प्रभाग

प्रारुप—30

(वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत समस्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्रों पर सूचना/अभिलेख संलग्न किये जाने हैं।)

FORM-1

(for linear projects)

Government of Uttarakhand Office of the District Collector Pithoragarh

No--- Dated---3/3/2015

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In complinance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Rocognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 0.955 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of Public Work Department for in Pithoragarh district falls within jurisdiction of चण्डाक बॉस ऑवलाघाट मोटर मार्ग के कि0मी0 9.00 पोखरी से रतवाली ततरोडा तक मोटर मार्ग village (s) in Bin (Pithoragarh) tehsils.

It is further certified that:

(a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 0.955 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consulations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub-Division laevel Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure ...to ...annexure....

(b) the diversion of forest land for facilities managed by the Gvoernment as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;

(c) the proposal does not involve rcognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Eucl: As above.

Signature

(Full name and official seal of the District Collector)

जिला अधिकारी
पिथौरागढ़

प्रारुप–30.1
OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER
DISTRICT Pithoragarh (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of **Pithoragarh** district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr/Mrs/Miss. राजीव कुमार I.A.S deputy commissioner,. पिथौरागढ़ on dated 3/3/15.... at time 3:30 P.m. at पिथौरागढ़ in which application claiming rights in **Van Bhumi** area measuring **0.955** hect for the construction of चण्डाक बॉस ऑवलाघाट मोटर मार्ग के कि0मी0 9.00 पोखरी से रतवाली ततरोडा तक मोटर मार्ग forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub divition level committee of पिथौरागढ़ sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommended the above case for diversion of land for the said purpose.

Place: पिथौरागढ़
Dated: 03/03/2015

Deputy Commissioner-cum-Chairman
District Level Committe

जिला अधिकारी
पिथौरागढ़

प्रारुप–30.2

परियोजना का नाम :— **चण्डाक बॉस ऑवलाघाट मोटर मार्ग के कि0मी0 9.00 पोखरी से रतवाली ततरोडा तक मोटर मार्ग**

कार्यालय उप जिलाधिकारी, पिथौरागढ़
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण–पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति, पिथौरागढ़

उपखण्ड पिथौरागढ़ परिक्षेत्र के अन्तर्गत **चण्डाक बॉस ऑवलाघाट मोटर मार्ग के कि0मी0 9.00 पोखरी से रतवाली ततरोडा तक मोटर मार्ग** (0.045 हे0 आरक्षित वन भूमि, 0.630 हे0 सिविल एवं सोयम वन भूमि, 0.280 हे0 वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल 0.955 हे0 वन भूमि) का **प्रान्तीय खण्ड लोक निमाण विभाग** पिथौरागढ़ प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील पिथौरागढ़) की दिनांक 03/03/2015 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरणः—

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री अनुराग आर्या उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1— श्री अनुराग आर्या —उपजिलाधिकारी — पिथौरागढ़ —अध्यक्ष
2— श्री [illegible] —उप प्रभागीय वनाधिकारी— पिथौरागढ़ —सदस्य
3— श्री [illegible] —सहायक समाज कल्याण अधिकारी— पिथौरागढ़ —सदस्य/सचिव
4— श्री संजय राम —बी0डी0सी0 क्षेत्र — मुनाकोट —सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि **चण्डाक बॉस ऑवलाघाट मोटर मार्ग के कि0मी0 9.00 पोखरी से रतवाली ततरोडा तक मोटर मार्ग**, परियोजना हेतु 0.955 हे0 वन भूमि **प्रान्तीय खण्ड लोक निमाण विभाग** पिथौरागढ़ प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड — पिथौरागढ़ परिक्षेत्र के अन्तर्गत **चण्डाक बॉस ऑवलाघाट मोटर मार्ग के कि0मी0 9.00 पोखरी से रतवाली ततरोडा तक मोटर मार्ग** परियोजना के निर्माण हेतु 0.955 हे0 वन भूमि **प्रान्तीय खण्ड लोक निमाण विभाग पिथौरागढ़** प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिला अधिकारी पिथौरागढ़ (उत्तराखण्ड)
उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील— पिथौरागढ़
जनपद पिथौरागढ़

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, पिथौरागढ़को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप प्रभागीय वनाधिकारी पिथौरागढ़

प्रभागीय वन अधिकारी
पिथौरागढ़ वन प्रभाग

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील— पिथौरागढ़
जनपद पिथौरागढ़
उप जिला अधिकारी पिथौरागढ़ (उत्तराखण्ड)

प्रारुप–30.3

परियोजना का नाम :– **चण्डाक बॉस ऑवलाघाट मोटर मार्ग के कि0मी0 9.00 पोखरी से रतवाली ततरोडा तक मोटर मार्ग ।**

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम **मझेडा रतवाली**
तहसील **पिथौरागड** जिला **पिथौरागड**

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में **चण्डाक बॉस ऑवलाघाट मोटर मार्ग के कि0मी0 9.00 पोखरी से रतवाली ततरोडा तक मोटर मार्ग** ।परियोजना के निर्माण हेतु (**0.045** हे0 आरक्षित वन भूमि, **0.630** हे0 सिविल सोयम भूमि **0.280** हे0, वन पंचायत भूमि) अर्थात कुल **0.955** हे0 वन भूमि का **प्रा0 ख0 लो0 नि0 वि0 पिथौरागड** विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत **मझेडा रतवाली** द्वारा दिनांक को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध मे अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नही है।
* उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम **मझेडा रतवाली** के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि **प्रा0 ख0 लो0 नि0 वि0 पिथौरागड** प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0/–
ग्राम सचिव
मुहर सहित

ह0/–
ग्राम प्रधान/सरपंच
मुहर सहित

ग्राम पंचायत मझेड़ा
वि.ख.-विण, पिथौरागढ़

सरपंच
वन पंचायत रतवाली

प्रपत्र - 30.3

निरापत्ति प्रमाण पत्र

हमारे ग्राम हेतु स्वीकृत मोटर मार्ग जो कि **बॉस ऑवलाघाट मो0मार्ग के कि0मी0 9.00 मे [illegible] से रतवाली ततरोडा तक है,** के निर्माण में प्रभावित होने वाली समस्त भूमि नाप,बेनाप, [illegible] बगीचे आदि को **निशुल्क** देने में किसी भी ग्रामवासी को कोई आपत्ति नहीं है,व न ही [illegible] में होगी। साथ ही समस्त ग्रामवासी यह भी आश्वस्त करते हैं कि मार्ग निर्माण में अपना [illegible] सहयोग विभाग को देंगें।

[illegible] चन्द्र जोशी - [signature]
1- नीलाम्बर [illegible] - [signature]
3- त्रिभुवन जोशी — T.C. Joshi
4- नवीन चन्द्र जोशी - [signature]
5- मनोज कुमार जोशी - Manoj
[illegible]- राजेन्द्र प्रसाद जोशी - [signature]
[illegible]- मदन चन्द्र - [signature]
[illegible]- विमल जोशी - [signature]
[illegible]- गोवर्धन जोशी - [signature]
[illegible]- भूपेन्द्र जोशी - [signature]
- कपिल जोशी - [signature]
2- राधा जोशी - [signature]
3- अशोक जोशी - [signature]
4-
5-

[illegible] प्रति प्रमाणित
[signature]
सहायक अभियन्ता
[illegible]तीय खण्ड लो0नि0वि0 पिथौरागढ

[signature]
सरपंच
वन पंचायत [illegible]

[signature]
प्रधान
ग्राम पंचायत [illegible]
वि.ख.-बिण, पिथौराग[illegible]

वन पंचायत रतवाली ग्राम पंचायत मझेड़ा, जनपद पिथौरागढ़ की बैठक दिनांक 24-11-2013 को बैठक में पारित प्रस्ताव सं० 1 की सत्य प्रतिलिपि :

<u>प्रस्ताव सं० 1:-</u> ग्राम रतवाली मुख्य मोटर मार्ग से दूरी पर स्थित होने के कारण यहां के वासियों द्वारा मुख्य सडक मोटर मार्ग से गांव को जोडने हेतु (वण्डाक बाँस [?]) मोटर मार्ग से ग्राम रतवाली तक सडक निर्माण किये जाने की मांग जन प्रतिनिधियों एवं सरकार से समय समय पर रखी गयी है। वर्तमान में जिला योजना के अन्तर्गत 1 कि०मी० सडक का निर्माण इस गांव हेतु प्रस्तावित है। यह सडक वण्डाक बाँस [?] मोटर मार्ग से वन पंचायत रतवाली के करबीजर [?] तोक से होते हुये गांव तक पहुंचेगी। रोड के निर्माण से वन पंचायत रतवाली का आंशिक क्षेत्र प्रभावित हो रहा है। जनहित को देखते हुये ग्रामवासियों को वन पंचायत क्षेत्र में सडक बनने में कोई आपत्ति नही है। प्रस्ताव सर्व सम्मति से पारित किया गया।

सत्य प्रति प्रमाणित

लीला [?]

सरपंच [?]

वन पंचायत रतवाली [?]

24.11-2013

छाया प्रति प्रमाणित

सहायक अभियन्ता

प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि० पिथौरागढ

प्रारुप–30

(वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत समस्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्रों पर सूचना/अभिलेख संलग्न किये जाने हैं।)

FORM-1

(for linear projects)

Government of Uttarakhand Office of the District Collector Pithoragarh

No--- Dated---3/3/2015

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In complinance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Rocognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 0.955 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of Public Work Department for in Pithoragarh district falls within jurisdiction of चण्डाक बॉस ऑवलाघाट मोटर मार्ग के कि0मी0 9.00 पोखरी से रतवाली ततरोडा तक मोटर मार्ग village (s) in Bin (Pithoragarh) tehsils.

It is further certified that:

(a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 0.955 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consulations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub-Division laevel Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure ...to ...annexure....

(b) the diversion of forest land for facilities managed by the Gvoernment as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;

(c) the proposal does not involve rcognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Eucl: As above.

Signature

(Full name and official seal of the District Collector)

जिला अधिकारी

पिथौरागढ़

प्रारुप–30.1

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER

DISTRICT Pithoragarh (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of **Pithoragarh** district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr/Mrs/Miss. राजीव कुमार I.A.S deputy commissioner,. पिथौरागढ़ on dated 3/3/15.... at time 3:30 P.m. at पिथौरागढ़ in which application claiming rights in **Van Bhumi** area measuring **0.955** hect for the construction of चण्डाक बॉस ऑवलाघाट मोटर मार्ग के कि0मी0 9.00 पोखरी से रतवाली ततरोडा तक मोटर मार्ग forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub divition level committee of पिथौरागढ़ sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommended the above case for diversion of land for the said purpose.

Place: पिथौरागढ़

Dated: 03/03/2015

Deputy Commissioner-cum-Chairman

District Level Committe

जिला अधिकारी

पिथौरागढ़

प्रारुप–30.2

परियोजना का नाम :– **चण्डाक बॉस ऑवलाघाट मोटर मार्ग के कि0मी0 9.00 पोखरी से रतवाली ततरोडा तक मोटर मार्ग**

कार्यालय उप जिलाधिकारी, पिथौरागढ़
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण–पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति, पिथौरागढ़

उपखण्ड पिथौरागढ़ परिक्षेत्र के अन्तर्गत **चण्डाक बॉस ऑवलाघाट मोटर मार्ग के कि0मी0 9.00 पोखरी से रतवाली ततरोडा तक मोटर मार्ग** (0.045 हे0 आरक्षित वन भूमि, 0.630 हे0 सिविल एवं सोयम वन भूमि, 0.280 हे0 वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल 0.955 हे0 वन भूमि) का **प्रान्तीय खण्ड लोक निमाण विभाग** पिथौरागढ़ प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील पिथौरागढ़) की दिनांक 03/03/2015 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरणः–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री अनुराग आर्या उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1– श्री अनुराग आर्या –उपजिलाधिकारी – पिथौरागढ़ –अध्यक्ष
2– श्री अनिल कुमार –उप प्रभागीय वनाधिकारी– पिथौरागढ़ –सदस्य
3– श्री दीप कश्यप –सहायक समाज कल्याण अधिकारी– पिथौरागढ़ –सदस्य/सचिव
4– श्री संजय राव –बी0डी0सी0 क्षेत्र – मझेड़ा –सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि **चण्डाक बॉस ऑवलाघाट मोटर मार्ग के कि0मी0 9.00 पोखरी से रतवाली ततरोडा तक मोटर मार्ग**, परियोजना हेतु 0.955 हे0 वन भूमि **प्रान्तीय खण्ड लोक निमाण विभाग** पिथौरागढ़ प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड – पिथौरागढ़ परिक्षेत्र के अन्तर्गत **चण्डाक बॉस ऑवलाघाट मोटर मार्ग के कि0मी0 9.00 पोखरी से रतवाली ततरोडा तक मोटर मार्ग** परियोजना के निर्माण हेतु 0.955 हे0 वन भूमि **प्रान्तीय खण्ड लोक निमाण विभाग पिथौरागढ़** प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिला अधिकारी
उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील– पिथौरागढ़
जनपद पिथौरागढ़
(उत्तराखण्ड)

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, पिथौरागढ़को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप प्रभागीय वनाधिकारी
पिथौरागढ़

प्रभागीय वन अधिकारी
पिथौरागढ़ वन प्रभाग

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील– पिथौरागढ़
जनपद पिथौरागढ़
उप जिला अधिकारी
पिथौरागढ़
(उत्तराखण्ड)

प्रारुप–30.3

परियोजना का नाम :– **चण्डाक बॉस ऑवलाघाट मोटर मार्ग के कि0मी0 9.00 पोखरी से रतवाली ततरोडा तक मोटर मार्ग ।**

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम **मझेडा रतवाली**
तहसील **पिथौरागड** जिला **पिथौरागड**

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में **चण्डाक बॉस ऑवलाघाट मोटर मार्ग के कि0मी0 9.00 पोखरी से रतवाली ततरोडा तक मोटर मार्ग** ।परियोजना के निर्माण हेतु (**0.045** हे0 आरक्षित वन भूमि, **0.630** हे0 सिविल सोयम भूमि **0.280** हे0, वन पंचायत भूमि) अर्थात कुल **0.955** हे0 वन भूमि का **प्रा0 ख0 लो0 नि0 वि0 पिथौरागड** विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत **मझेडा रतवाली** द्वारा दिनांक को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध मे अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नही है।

* उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम **मझेडा रतवाली** के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि **प्रा0 ख0 लो0 नि0 वि0 पिथौरागड** प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0/–
ग्राम सचिव
मुहर सहित

ह0/–
ग्राम प्रधान/सरपंच
मुहर सहित

ग्राम पंचायत मझेड़ा
वि.ख.-बिण, पिथौरागढ़

सरपंच
वन पंचायत रतवाली

प्रपत्र – 30.3

निरापत्ति प्रमाण पत्र

हमारे ग्राम हेतु स्वीकृत मोटर मार्ग जो कि **बॉस ऑवलाघाट मो0मार्ग के कि0मी0 9.00 मे** [illegible]री **से रतवाली ततरोडा तक है**, के निर्माण में प्रभावित होने वाली समस्त भूमि नाप,बेनाप, [illegible]र बगीचे आदि को **निशुल्क** देने में किसी भी ग्रामवासी को कोई आपत्ति नहीं है,व न ही [illegible] में होगी। साथ ही समस्त ग्रामवासी यह भी आश्वस्त करते हैं कि मार्ग निर्माण में अपना [illegible] सहयोग विभाग को देंगें।

[illegible] चन्द्र जोशी –
1– नीलाम्बर [illegible] – नीलम
3– त्रिभुवन जोशी – T.C. Joshi
4– नवीन चन्द्र जोशी – [illegible]
5 – मनोज कुमार जोशी – Manoj
6 – राजेन्द्र प्रसाद जोशी – [illegible]
7 – [illegible] – [illegible]
8 – बिमल जोशी
9 – गोवर्धन जोशी
– भूपेन्द्र जोशी
– कपिल जोशी
2 – राधा जोशी
3 – अशोक जोशी
4 –
5 –

[illegible] प्रति प्रमाणित
सहायक अभियन्ता
[illegible]न्तीय खण्ड लो0नि0वि0 पिथौरागढ

सरपंच
वन पंचायत [illegible]

प्रधान
ग्राम पंचायत [illegible]
वि.ख.-बिण, पिथौराग[illegible]

वन पंचायत रतवाली ग्राम पंचायत मझेड़ा, जनपद-पिथौरागढ़ की बैठक दिनांक 24-11-2013 को बैठक में पारित प्रस्ताव सं0 1- की सत्य प्रतिलिपि :-

प्रस्ताव सं0 1:- ग्राम रतवाली मुख्य मोटर मार्ग से दूरी पर स्थित होने के कारण यहां के वासियों द्वारा मुख्य सड़क मोटर मार्ग से गांव को जोड़ने हेतु (चण्डाक बाते) मोटर मार्ग से ग्राम रतवाली तक सड़क निर्माण किये जाने की मांग, जन प्रतिनिधियों एवं सरकार से समय समय पर रखी गई है। वर्तमान में जिला योजना के अन्तर्गत 1 कि0मी0 सड़क का निर्माण इस गांव हेतु प्रस्तावित है। यह सड़क चण्डाक बाते मोटर मार्ग से वन पंचायत रतवाली के करबीजर तोक से होते हुये गांव तक पहुंचेगी। रोड के निर्माण से वन पंचायत रतवाली का आंशिक क्षेत्र प्रभावित हो रहा है। जनहित को देखते हुये ग्रामवासियों को वन पंचायत क्षेत्र में सड़क बनने में कोई आपत्ति नहीं है। प्रस्ताव सर्व सम्मति से पारित किया गया।

सत्य प्रति प्रमाणित

सरपंच

[illegible] रतवाली

24.11-2013

छाया प्रति प्रमाणित

सहायक अभियन्ता

प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0 पिथौरागढ़